बी.राज गोपाल नायडू आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव
B. Raja Gopal Naidu IAS
Additional Chief Secretary

अर्द्ध.शा. पत्र क्रं. 665/662/17/A-16

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल - 462004 (म.प्र.)

Government of Madhya Pradesh
Labour Department
Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal-462004 (M.P.)

Dated दिनांक 17/05/17

Additional Secretary (L&E)
Dy. No. 430
Date 26/05/2017

Office of Joint Secretary (RKG)
Dy./FTS No. 313559
Date 26.05.2017

Dear Sir,

Please refer to your DO letter no, Z-13025/39/2015-LR Cell dated 6.4.2017 regarding various incentives and exemptions to be extended to Start-Up units.

2. Our State had earlier issued a circular on 22nd January 2016 to all the field officers of the State to comply with the instructions issued by Ministry of Labour, Government of India vide letter dated 12th January, 2016.

3. Now in compliance of aforementioned letter dated 6th April, 2017 the Labour Commissioner, Indore has already issued instructions to all the field officers to ensure that the incentives and exemptions would continue to be extended to Start-Up units upto 5 years. The State has also decided to extend following additional incentives to such units:

1. Start-Up units registered under the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act, 1958 shall not be inspected without prior permission of the Labour Commissioner.

2. Start-Up units registered under the Factories Act, 1947 except Hazardous and Major Hazardous Units shall also not be inspected without prior permission of the Labour Commissioner and such permission will be given on complaints of serious nature only.

E-mail : naidurb@ias.nic.in
Tel.: 0755-2550751 (O), 0755-2446010 (R)

4. A copy of the circular issued by the Labour Commissioner, Indore Madhya Pradesh is being enclosed herewith for your information and necessary action for ready reference.

With regards,

Yours sincerely,

(**B.R. Naidu**)

Mr. Heeralal Samariya, IAS
Additional Secretary,
Government of India,
Ministry of Labour & Employment,
Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg.
New Delhi
110 011

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इंदौर-452 007
दूरभाष: 0731- 2432822, फैक्स: 0731-2536600
ई-मेल: lcmpenf@mp.gov.in वेबसाईट: http://labour.mp.gov.in

क्रमांक बफ/नवम/प्रवर्तन/2016/15428-97 इन्दौर, दिनांक 04-5-17

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक, औद्‌योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)
समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)
समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्‌योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

विषयः- स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाईयों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों की अवधि में वृद्धि संबंधी ।

संदर्भ- इस कार्यालय का परिपत्र समसंख्या 2501-65 दिनांक 22.01.2016 तथा अतिरिक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का मुख्य सचिव महोदय को संबोधित अ.शा. पत्र क्र. जेड-13025/39/2015-एलआर सेल दिनांक 06/04/2017

उक्त विषयक संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण "स्टार्ट-अप इंडिया" कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित परिपत्र दिनांक 22.01.2016 द्‌वारा निर्देश जारी किये गये थे कि स्टार्ट-अप सेक्टर में प्रारंभ होने वाली इकाईयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में निम्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जायेंगे -
अ. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, ब. अन्तर्राज्यीय कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, स. उपदान भुगतान अधिनियम, द. संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, इ. म.प्र. औद्‌योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञा) अधिनियम

यदि इस अवधि में उक्त इकाईयों में श्रम कानूनों के उल्लंघनों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके संबंध में श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जायेगा तथा श्रम आयुक्त कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही इकाई का निरीक्षण ऐसे अधिकारी द्‌वारा किया जायेगा जो सहायक श्रम पदाधिकारी से नीचे स्तर का न हो तथा उन्हें ईज ऑफ डुईंग बिजनेस और राज्य में किये गये विभिन्न श्रम सुधारों का समुचित लाभ प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जावेगा। साथ ही विभिन्न श्रम कानूनों में 3 वर्षों तक स्वप्रमाणीकृत (सेल्फ सर्टिफाइड) जानकारी प्रस्तुत करने की छूट दी गयी थी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 06.04.2017 द्‌वारा पुन: अवगत कराया है कि उक्त स्टार्ट-अप इकाईयों को 3 वर्ष के स्थान पर आगामी 5 वर्षों के लिए निम्न श्रम कानूनों में स्वप्रमाणीकृत जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे-
1. औद्‌योगिक विवाद अधिनियम, 2. व्यवसाय संघ अधिनियम, 3. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 4. म.प्र. औद्‌योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञा)

SO(B) MB 11/5

अधिनियम, 5 अन्तर्राज्यीय कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 6. उपदान भुगतान अधिनियम, 7. संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 8. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

तथा शेष अन्य सुविधाओं / छूटों को भी निरंतरित रखा जावे।

आपको विदित है कि राज्य में पूर्व से ही 'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस तथा श्रम सुधारों' के अन्तर्गत विभिन्न स्थापनाओं को अनेक सुविधाएँ प्रदान की गयी है तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी स्थापना का निरीक्षण या तो श्रम आयुक्त की अनुमति से अथवा ऑन लाइन जनरेटेड सूची से किया जावे।

अतएव उक्तानुसार जारी दिशा-निर्देशों तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुक्रम में पुन: निर्देशित किया जाता है कि राज्य में स्थापित स्टार्ट अप इकाईयों को दी जा रही समस्त सुविधाएँ आगामी 5 वर्ष हेतु पूर्ववत जारी रहेंगी। इसके अलावा स्टार्ट अप इकाईयों को निम्न अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जा रही है-

1. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्टार्ट अप इकाईयों के निरीक्षण बगैर श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं किये जायेंगे।
2. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत खतरनाक एवं अतिखतरनाक इकाईयों को छोडकर अन्य इकाईयों के निरीक्षण बगैर श्रम आयुक्त के पूर्व अनुमति के नहीं किये जायेंगे।

यदि किसी इकाई के विरूद्ध श्रमिक हित से जुडी हुयी अथवा विधान के उल्लंघन की कोई गंभीर शिकायत प्राप्त होती है तो निरीक्षण के पूर्व शिकायत की प्रति अपने अभिमत सहित प्रेषित करते हुए श्रम आयुक्त से अनुमति प्राप्त की जावेगी तथा निरीक्षण सहायक श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अथवा उनसे उच्चतर अधिकारियों द्वारा अनुमति के पश्चात ही किया जा सकेगा।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की जानकारी संबंधितों को प्राप्त हो सके इस हेतु इनका आवश्यक प्रचार-प्रसार स्थानीय मीडिया में कराया जावे। उक्त दिशा-निर्देशों का लाभ स्टार्ट अप इकाईयों द्वारा प्राप्त किये जाने बाबद इकाईवार जानकारी भी प्रतिमाह श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जावे।

(शोभित जैन)
श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक बफ/नवम/प्रवर्तन/2016/ 15498-504, इन्दौर, दिनांक 04-5-17

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके पृष्ठांकन क्रमांक 1371/एसीएस/श्रम/2017 दिनांक 18.04.2017 के संबंध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली, 110001 की ओर अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 06.04.2017 के संबंध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. संचालक, औ. स्वा. एवं सुरक्षा, अपर श्रम आयुक्त, समस्त उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इंदौर-452 007
दूरभाष: 0731- 2432822, फैक्स: 0731-2536600
ई-मेल: lcmpindore@gmail.com वेबसाईट: http://labour.mp.gov.in

क्रमांक बफ/नवम/प्रवर्तन/2016/ 2501-65 **इन्दौर, दिनांक** 22/01/20,

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)
समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)
समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

विषयः- स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाईयों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ- सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्र. जेड-13025/39/2015-एलआर सेल दिनांक 12/01/2016

उक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण "स्टार्ट-अप इंडिया" कार्यक्रम के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि स्टार्ट-अप सेक्टर में प्रारंभ होने वाली इकाईयों को प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सहायता एवं सुविधाएँ उपलब्ध करायी जावे। प्रथमदृष्टया स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाई उस इकाई को माना गया है 'जो गत 5 वर्ष की अवधि में गठित/पंजीकृत हुयी हो तथा जिसका वार्षिक टर्नओवर गत वित्तीय वर्षों में रूपये 25 करोड से अधिक न रहा हो। ऐसी इकाई टेक्नोलॉजी या बौद्धिक सम्पदा के माध्यम से नवीन उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के क्षेत्र में नवाचार, विकास एवं उनके वाणिज्यिकीकरण हेतु कार्यरत होना चाहिए तथा यह इकाई किसी पूर्व स्थापित इकाई या व्यवसाय के विघटन या पुर्नर्निमाण द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिए।'

उपर्युक्त के प्रकाश में उक्त इकाईयों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं -

1. इकाईयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में निम्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जायेंगे -

अ. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, **ब.** अन्तर्राज्यीय कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, **स.** उपदान भुगतान अधिनियम, **द.** संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, **इ.** म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञा) अधिनियम

यदि इस अवधि में उक्त इकाईयों में श्रम कानूनों के उल्लंघनों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके संबंध में श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जायेगा तथा श्रम आयुक्त कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही इकाई का निरीक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो सहायक श्रम पदाधिकारी से नीचे स्तर का न हो।

2. वॉलंटरी कम्प्लायंस स्कीम (वीसीएस) के माध्यम से स्टार्ट-अप इकाईयों को राज्य में **16 श्रम कानूनों** में उपलब्ध सेल्फ सर्टिफिकेशन संबंधी ऑन लाइन सुविधा दी जाना है।

3. राज्य एवं केन्द्र के श्रम कानूनों में हाल ही में हुए संशोधनों से प्राप्त निम्न सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त होंगी-

(1) **मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम** के अन्तर्गत प्रभावशीलता 20 के स्थान पर 50 श्रमिक पर तथा सभी माइक्रो इण्डस्ट्रीज को छूट ।

(2) **मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम** के अन्तर्गत स्थापना में जहॉ 10 से कम श्रमिक हो किसी भी श्रम अधिनियम में निरीक्षण श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर संभव नहीं।

(3) **मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधी अधिनियम** से सभी माइक्रो इण्डस्ट्रीज को छूट ।

(4) **कारखाना अधिनियम**, 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों के अधिसमय कार्य के घंटों को श्रमिकों की सहमति से किसी तिमाही में **75** से बढ़ाकर **125** किया जाना। रात्रि पाली में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए रात्रि **8.00** बजे से सुबह **6.00** बजे तक कार्य की अनुमति दी जाना।

(5) **औद्योगिक विवाद अधिनियम**, 1947 **के अन्तर्गत** किसी संस्थान में ले-ऑफ, छंटनी या बंदीकरण हेतु पूर्व अनुमति की आवश्यकता **300** या अधिक श्रमिक वाले संस्थानों हेतु होगी। संराधन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में समय-सीमा **3** वर्ष निर्धारित

(6) 5 **श्रम अधिनियमों** - म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन अथवा लायसेंस **30** दिवस में जारी न होने पर डीम्ड (स्वत:) पंजीयन/लायसेंस का प्रावधान।

(7) **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम**, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण की लागत में कारखाना निर्माण की स्थिति में प्लांट एवं मशीनरी की लागत सम्मिलित नहीं। उपकर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील की स्वीकार्यता सम्पूर्ण राशि जमा करने के स्थान पर अविवादित राशि का 100 प्रतिशत एवं विवादित राशि का राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत जमा करने पर अपील सुनवाई योग्य होगी।

(8) 7 **श्रम कानूनों यथा** - (i) समान पारिश्रमिक अधिनियम (ii) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम (iii) न्यूनतम वेतन अधिनियम (iv) वेतन भुगतान अधिनियम (v) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें)

वनियम (vi) म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम (vii) मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थाई आदेश) अधिनियम में जहॉ अर्थदण्ड तथा/या 3 माह तक की सजा के प्रावधान है- में अपराधों में समझौता शुल्क लिया जाकर प्रशमन किया जायेगा।

(9) 15 **श्रम अधिनियमों** में प्रावधानित अनेक पंजियों एवं प्रपत्रों के स्थान पर सरल एकीकृत पंजी एवं इकजाई विवरणी का प्रावधान किया जाना एवं पंजी एवं अभिलेख कम्प्यूटर या डिजीटल फार्मेट में रखने की अनुमति -

(i) संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (1970 का क्रमांक 37) (ii) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 25) (iii) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का क्रमांक 63) (iv) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का क्रमांक 14) (v) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1979 (1979 का क्रमांक 30) (vi) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट अधिनियम, 1988 (1988 का क्रमांक 51) (vii) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53) (viii) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का क्रमांक 11) (ix) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का क्रमांक 27) (x) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का क्रमांक 21) (xi) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का क्रमांक 39) (xii) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का क्रमांक 4) (xiii) विक्रय संर्वधन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 11) (xiv) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (xv) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1992

4. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस

ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत श्रम विभागीय पोर्टल पर सिंगल विन्डो में कारखाना अधिनियम, मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, मोटर यातायात कर्मकार अधिनियम में पंजीयन/अनुज्ञप्ति और वी-सी-एस- योजना की स्वीकृति कार्यवाही को पूर्णत: ऑन लाईन कर दिया गया है। इसके अलावा उक्त कुल **19** सेवाओं कों लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत् लोक सेवाओं के रूप में भी सम्मिलित किया जाकर समय-सीमा में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया गया है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नक्शा अनुमोदन, पंजीयन करने व अनुज्ञप्ति जारी करने मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीयन और वीसीएस योजना एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी ऑन लाइन उपलब्ध है।**एम-श्रम सेवा एप (M-Shram Sewa App)** पर विभाग के पंजीयन अनुज्ञप्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से उपलब्ध है। **उक्त निर्देशों का परिपालन अनिवार्यत:सुनिश्चित किया जावे।**

संलग्न-उक्तानुसार

(के.सी.गुप्ता)
श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश